


381



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

/2017 पुनरीक्षण

R 923- II-17



राजेन्द्र प्रसाद तिवारी पुत्र स्व. राजकिशोर तिवारी निवासी ग्राम डोल तह. हनुमना जिला रीवा

..... आवेदक

श्री मुकेश माग्वि अभिमाधक द्वारा आज दि 20-3-17 को प्रस्तुत

विरुद्ध

~~राजेन्द्र प्रसाद तिवारी~~
मैजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट 20-3-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. मेवालाल पुत्र स्व. श्री छोटेलाल तिवारी
2. रमेश कुमार तिवारी पुत्र स्व. श्री जानकीरमण तिवारी
3. मुस. कलावती बेबा स्व. श्री जानकीरमण तिवारी

निवासीगण ग्राम डोल तह. हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

WS
मुकेश माग्वि
20-3-17 एडवाकेट
ग्वालियर

न्यायालय अनुविमगीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा द्वारा प्र.कं. 163/ए-6/15-16 में पारित आदेश दिनांक 20.01.2017 के विरुद्ध म.प्र. मू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।
- 2- यह कि, वादग्रस्त भूमि ख.कं. 199 रकवा 0.06 ए. 152/2 ख रकवा 0.303 है0 तथा 153/1ख रकवा 0.336 है0 किता 3 कुल रकवा 6.43 है0 भूमि आवेदक व अनावेदक कं. 2, 3 के पूर्वज ने अनावेदक कं. 1 के पूर्वज से

3

381

- 2 -

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-923-दो/2017

जिला-रीवा

राजेन्द्र प्रसाद तिवारी विरुद्ध मेवालाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्री जितेन्द्र त्यागी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी हनुमना, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक 163/ए-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 20-01-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 13-05-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(अप्र0के0 जेन) सदस्य 18/3/19</p>